

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य प्राविधिकी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पञ्च
व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं विवाक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : शूलीवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/133

दिनांक: 30.03.2013

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी, एण्ड मैनेजमेंट (आईटी.एम.ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन) झाँसी रोड, ग्वालियर(0751-2440058) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्याची सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महाविद्या/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुर्गत निर्माणाब्दार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442704)
- (2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. गोखलानी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.डी. सिंहदिवा, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, झीङ्गा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेच्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 अक्टूबर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयाब्दार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकें। एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्याची सम्बद्धता नें विलम्ब नहीं होगा एवं वया समय सम्बद्धी कार्यवाही पूर्ण हो सकें। तथा शासन के बिंदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की विधिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण बही हुआ है। नियमाब्दार अर्थात् जमा कराकर बवीन समिति गठित की जाएगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)